(60)

(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व प्र.क्र.- I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0872 सन्.

1. चेतराम पाठक
2. नन्द किशोर पाठक } पुत्रगण तनय ठाकुर प्रसाद पाठक

निवासीगण - ग्राम - बरा, तहसील - राजनगर
जिला - छतरपुर (म.प्र.) ——निगरानीकर्तागण

Vs.

1. अरविन्द
2. वीरेन्द्र
3. ब्रजेश
4. गोविन्द } पुत्रगण छन्नू लाल तिवारी

निवासीगण ;- बस स्टेन्ड के पास, बिजावर
जिला - छतरपुर (म.प्र.) ——गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 विरुद्ध आदेश प्रकरण क्रमांक 29एवं 30/अ-6/2011-2012 पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26/10/2017 एवं 10/01/2018, न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय राजनगर प्रभारी क्षेत्र लवकुशनगर, तहसील - राजनगर जिला - छतरपुर (म.प्र.)

02/02/18

श्री चन्द्रमौलि चतुर्वेदी अभि॰ द्वारा आज दि॰ 02.02.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.2.18 नियत।

2-2-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न लिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है -

01. यह कि भूमि ख.नं. 14, 15, 16, 17, 20, 21 किता - 06 रकबा रकबा 2.655 है. लगान सात रुपये अठहत्तर पैसा, मौजा बम्हौरी भा

क्रमशः :— (2)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0872

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का धारा-151 जा.दी. सहपठित धारा 32 का आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार किया है कि प्रकरण में दो-दो वसीयतें प्रस्तुत हुई हैं साथ ही एक पक्षकार द्वारा वारसान नामांतरण वावत अनुरोध किया गया है जिससे प्रकरण में साक्ष्य ली जाना एवं कूट परीक्षण किया जाना आवश्यक है उसी क्रम में न्यायालय द्वारा आवेदक एवं उनके साक्षियों का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्रों के आधार पर किया गया है, जो विधि के अनुकूल है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई न्यायिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	